संख्या-13/5/98/का-1-2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 06 अक्टूबर, 2015

विषय :- सेवा सम्बंधी/अन्य मामलों में सरकारी सेवकों द्वारा उचित माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि सरकारी सेवकों द्वारा सीधे उच्चतम स्तर पर सेवा सम्बंधी मामलों व अन्य मामलों पर सीधे पत्राचार किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 का उल्लंघन है। समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में सरकारी सेवकों से अपेक्षित है कि सेवा सम्बंधी मामलों में प्रत्यावेदन/पत्राचारों को उचित माध्यम के द्वारा यथास्थिति, अपने आसन्न वरिष्ठ अधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किये जाने चाहिए। प्रदेश के सरकारी सेवकों के आचरण के सम्बंध में कार्मिक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) निर्गत की गयी है, जिसके नियम-27-ए में निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं:-

Representation by government servants.- No government servant shall whether personally or through a member of his family, make any representation to Government or any other authority except through the proper channel and in accordance

कृपया अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव
राज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग
उ० प्र० शासन।

with such directions as the Government may issue from time to time. The Explanation to rule 27 shall apply to this rule also.

2- संदर्भित नियमावली के उक्त प्राविधानों से स्वतः स्पष्ट है कि सरकारी सेवकों द्वारा दिये जाने वाले प्रत्यावेदनों को "द्वारा उचित माध्यम" (through the proper channel) ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका उल्लंघन किये जाने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध समुचित/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

3- कृपया उक्त संदर्भित नियमावली के नियम 27-ए का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

V.S.(H)

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव ।

संख्या-13/5/98(1)/का-1-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव ।

DCC(IT) 3361 06-11-15

JCC(IT) 06-11-15

DCC(IT) 06-11-15

पत्र संख्या-स्था-1-सामान्य- 3138 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 05 नवम्बर, 2015

पू0पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव,कर एव निबन्धन अनुभाग-1,उत्तर प्रदेश शासन।
2. एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,उ0प्र0।
3. कमिश्नर,वाणिज्य कर(कैम्प)उ0प्र0।
4. एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर,मुख्यालय।
5. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन के उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित करने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।
6. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1(उच्च न्या0कार्य)वाणिज्य कर,इलाहाबाद।
7. अपर निदेशक, कर एवं प्रबन्धन शोध संस्थान,वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ।
8. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।
9. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।
10. समस्त डिप्टी कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।
11. समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी,वाणिज्य कर,मुख्यालय।
13. असिस्टेन्ट कमिश्नर(कम्प्यूटर)वाणिज्य कर,मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट हेतु।

5.11.2015

(सुनील कुमार राय)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।